margin money to enable them to raise funds from the commercial banks for price support operations.

लाइसेंस प्राप्त किये बिना वीडियो पर फिल्मों/अश्लील फिल्मों (ब्लू फिल्मों) का दिखाया जाना

1011. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान पूर्वी दिल्ली में गौतमपुरी, दिल्ली-110053, कालोनी में लाइसेंस प्राप्त किए बिना वीडियो पर फिल्में/अश्लील फिल्में (ब्लू फिल्में) दिखाये जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) हाल में दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसी कोई गतिविधि नहीं आई है । तथापि, 1986 के दौरान गौतमपुरी के 2 निवासियों को बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए धन देने पर विडियो पर फिल्म दिखाने के लिए चलचित्रकार अधिनियम की धारा 10/14 के अधीन गिरफ्तार किया गया था । उन्हें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया । पुलिस ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए सतर्क रहती है ।

गौतमपुरी, दिल्ली में गैर-कानूनी रूप से अश्लील फिल्मों (ब्लू फिल्मों) का दिखाया जाना

1012. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में गौतमपुरी, दिल्ली-110053 में कुछ असामाजिक तत्व गैर-कानूनी रूप से रात-दिन वीडियो पर अश्लील फिल्में (ब्लू फिल्में) दिखा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या इस संबंध में कोई जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान गौतमपुरी क्षेत्र का ऐसा कोई मामला दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आया है । तथापि, पूर्वी दिल्ली में इस प्रकार के दो मामले, एक थाना सीलमपुर का और दूसरा विवेक विहार का सूचित किए गए। प्रत्येक मामले मे एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ह और एक के विरुद्ध न्यायालय में मामला पेश किया गया ह ।

Modern security system in Public Sector Undertakings

1013. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Industrial Security Force (CISF) propose to introduce modern security system in the public sector undertakings in the country as is adopted in the foreign countries;

(b) if so, what are the full facts thereof in this regard; and

(c) whether any survey has been made about its feasibility in this regard, and if so, by when the same will be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes Sir. The Central Industrial Security Force carries out scientific surveys and

prepares schemes for introduction of modern security systems, on the request of the undertakings. In order to expose the Managements to front line technology in the field of industrial security, an exhibition cum-Seminar was organised by CISF from 11th to 15th March, 1987 in New Delhi.

(c) Survey of fifty-nine important Public Sector Undertakings and vital installations has been carried out till now.

The eqiupments are to be purchased and installed by the undertakings. Since the managements cannot be compelled to adopt the modern system, it will not be possible to indicate any time limit for their introduction.

Streamlining of Central Police Forces

1014. SHRI MAHENDRA PRASAD:
DR. H. P. SHARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a review of the working of all the Central Police Forces has been undertaken with a view to streamlining and rationalising their organsation; and

(b) if so, whether the review has been completed and the outcome of such review?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) The review has been completed and action has been initiated according to the decisions taken at the review.

दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के मामले

1015. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के सूचित किये गये मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	सूचित किए गए मामले
1984 . . .	1514
1985 . . .	2655
1986 . . .	2290
1987 (31-3-1987 तक) . . .	400

(ख) 14-11-1985 से लागू स्वापक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन की गयी कार्यवाही का असर पड़ा है और तब से दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में काफी कमी हुई है। अन्तर्राज्जीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यरत नशीली दवाओं के कुछ अवैध व्यापारियों/तस्करों का पता लगाया गया है और उनकी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखी जाती है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के प्रति अन्य प्रवंतन